



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।**



वन भवन, डोरणडा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in

फ़ोन - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01 / योबजट-32 / 2019- 506

दिनांक : 01/07/2021

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गुमला वन प्रमण्डल, गुमला / चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा / हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग / बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो / वन संरक्षक एवं राज्य वृक्ष विज्ञानी, झारखण्ड, राँची।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली “लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना” (अन्य व्यय) के अन्तर्गत रंगीनी एवं कुसुमी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समुह के द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) हेतु का तृतीय वर्ष कार्य तथा सीसल वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) हेतु कुल रु0 79.052 लाख (उन्नासी लाख पाँच हजार दो सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / योबो-46 / 2019-42 / स्वी0 व0प0 दिनांक 27.09.2019 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04 / योबजट-36 / 2020-16 / आ0 व0प0 दिनांक 10.06.2021।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष- 01 वानिकी, लघु शीर्ष- 102 समाज तथा फार्म वानिकी, उप शीर्ष- 09 “लघु वन पदार्थ का उन्नयन” योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल रु0 79.052 लाख (उन्नासी लाख पाँच हजार दो सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S24060110209010103	60.546
आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060110209010323	18.506
कुल :-		79.052

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के अनुलग्नक-1(क) से 1(ग) पर वर्णित प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं इस कार्यालय को सम्मान भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्य दर अनुलग्नक-2(क) से 2(ग) एवं ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

3. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन समितियों को राशि उपलब्ध कराई जाएगी, उस समिति से संबंधित सभी अभिलेख एवं उत्पादित लाह से संबंधित प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

4. इस योजना का कोड संख्या— 19S24060110209010103, 19S24060110209010323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विषयों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड होंगे, जिनके द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

7. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय—समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।

8. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो। अगर वित्तीय लक्ष्य से ज्यादा देनदारियों सृजित की जाती है, तो उन दावों के सृजन के लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।

10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/DBT के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी प्रकार का Cash भुगतान नहीं किया जायेगा।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत दिशा—निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संकल्प संख्या—940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशासनाओं के अनुसार की जाएगी, या GeM से किया जाएगा।

14(I). ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

(II) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा सर्वपण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन GIS Photography के साथ कर record में रखे तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(III) बड़े अग्रिम, वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रेतर राशि दी जाय।

(IV) Muster roll में अन्य ब्लौरा के साथ—साथ बैंक का नाम, Account number तथा IFSC कोड़ भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।

(V) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Document के साथ—साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का Printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(VI) एक वर्ष में सेवानिवृत होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(VII) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बड़ी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेंगे तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(VIII) राशि की विमुक्ति के पूर्व संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी उत्तरजीविता प्रतिशत की सूचना प्राप्त कर स्थल जाँच कर प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे। योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त करें। अगर मानक के अनुरूप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय।

(IX) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75% होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

(X) COVID-19 के protocol का पालन सभी कार्यों में किया जाय।

(XI) श्रोत पर (At source-TDS) यथा आयकर (Income tax), GST/VAT Profession tax इत्यादि की कटौती का दायित्व वन प्रमंडल पदाधिकारी का होगा। किसी भी उल्लंघन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी स्वतः जिम्मेवार होंगे।

15. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना—सह—वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय—समय पर निर्गत आदेश/निर्देश लागू होंगे।

16. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
मोर्म
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-32/2019- 506 दिनांक- 01/07/2021

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची / मुख्य वन संरक्षक -सह- मुख्य समन्वयक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड, राँची / मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची / हजारीबाग / बोकारो / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला / चतरा / हजारीबाग / बोकारो / इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-32/2019- 506 दिनांक- 01/07/2021

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, गुमला / चतरा / हजारीबाग / बोकारो / डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली “लघु वन पदार्थ का उन्नयन” योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत कुसुमी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) का तृतीय वर्ष कार्य हेतु प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 311.33 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह की संख्या	वृक्षों की कुल संख्या (100 वृक्ष प्रति समिति)	वित्तीय लक्ष्य		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
				6.282	4.206	10.488
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1	गुमला वन प्रमंडल, गुमला	125	12500	6.282	4.206	10.488
योग :-		125	12500	6.282	4.206	10.488

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली “लघु वन पदार्थ का उन्नयन” योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत रंगिनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) का तृतीय वर्ष कार्य हेतु प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹ 0 311.33 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की संख्या	वृक्षों की कुल संख्या (100 वृक्ष प्रति समिति)	वित्तीय लक्ष्य		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
				5.230	3.802	9.032
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	125	12500	5.230	3.802	9.032
2	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग	125	12500	5.230	3.802	9.032
3	बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो	125	12500	5.230	3.802	9.032
योग :-		375	37500	15.690	11.406	27.096



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास झारखण्ड, राँची।



वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली “लघु वन पदार्थ का उन्नयन” योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत सीसल वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 311. 33)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	स्थल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेक्टेक में)	वित्तीय लक्ष्य		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
				55105.41	4133.00	59238.41
i	ii	iv	v	vi	viii	
1	वन संरक्षक एवं राज्य वृक्ष विज्ञानी, झारखण्ड, राँची	उदयपुरा	20	11.021	0.827	11.848
		सबानो	50	27.553	2.067	29.620
योग :-		70	38.574	2.894	41.468	

अपर प्रभान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

कुसुमी लाह उत्पादन हेतु कार्य दर तालिका

कुसुमी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) के अंतर्गत स्वयं समूह गुप द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) की योजना (तृतीय वर्ष) की कार्य लाह-पोषक प्रजाति कुसुम के वृक्षों की संख्या-12500 प्रति वन प्रमण्डल (10 वृक्ष प्रति लाभुक परिवार, कुल 1250 लाभुक परिवार

(रु० लाख मे०)

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	दर	तृतीय वर्ष 2021-22 मजदूरी प्रति मानव दिवस 311.33			
			भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	कुल व्यय
1	वृक्षों का चिह्नांकन	रु० 2.98 प्रति वृक्ष		0.000	0.000	0.000
1	प्रशिक्षण					
	(क) हितग्राही परिवारों के एक-एक सदस्य को समूहों में IIRG के लाह वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण	100 रु० प्रति परिवार प्रति वर्ष			1.000	1.000
	(ख) लाह पर्यवेक्षक एवं 12 CRP (Community Resource Person) एक-एक शिक्षित सदस्य / प्रति 100 परिवार को मास्टर ट्रेनर्स के रूप में भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोद संस्थान, नामकुम, राँची में एक सप्ताह का प्रशिक्षण	2000 रु० प्रति प्रशिक्षणार्थी				0.000
3	टूलकीट एवं अन्य सामग्री	रु० 1775/- प्रति टूलकीट; 100 वृक्षों पर एक कीट				0.000
4	वृक्षों की कटाई-छाँटाई	1 मानव दिवस प्रति 5 वृक्ष				0.000
5	बीहन लाह का क्रय	4-6 किं० ग्राम प्रति वृक्ष; रु० 200.00 प्रति किं०ग्रा०	गत वर्ष उत्पादित बीहन से 3750 वृक्ष			0.000
6	संचारण व्यय	1 मा० दि० प्रति 5 वृक्ष	3750 वृक्ष	2.335		2.335
7	फसल संरक्षण पर व्यय	60 रु० प्रति वृक्ष (कीटनाशक इत्यादि)	3750 वृक्ष		2.250	2.250
8	कीटनाश मशीन	छिड़काव हेतु रॉकिंग स्प्रे 1 मशीन प्रति 10 लाभुक परिवार @ 6000रु०				0.000
9	फुन्की का स्केपिंग एवं संग्रहण	4 मानव दिवस प्रति 100 वृक्ष	3750 वृक्ष	0.467		0.467

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	दर	तृतीय वर्ष 2021-22 मजदूरी प्रति मानव दिवस 311.33			
			भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	कुल व्यय
10	तकनिकी सहायता (विशेषज्ञों एवं लाह पर्यवेक्षकों का यात्रा व्यय सहित)			0.000	0.250	0.250
11	लाह पर्यवेक्षकों को मानदेय	1 पर्यवेक्षक @ Rs. 5000/ पर्यवेक्षक / माह	1 पर्यवेक्षक (12 माह)	0.600	0.000	0.600
12	CRP (Community Resource Person) को मानदेय	12 CRP @ 2000₹0 प्रति माह	12 CRP (12 माह)	2.880		2.880
13	अन्य आकस्मिक व्यय (बोर्ड / प्लास्टिक रस्सी, रंग, पेंट, स्टेशनरी इत्यादि)				0.500	0.500
	कुल योग—			6.282	4.000	10.282
14	Concurrent Monitoring and Evaluation (Including MIS, documentation, data Collection, reports, case studies etc.)				0.206	0.206
	सकल योग—			6.282	4.206	10.488

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

रंगिनी लाह उत्पादन हेतु संशोधित कार्य दर तालिका

रंगिनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) के अंतर्गत स्वयं समूह ग्रुप द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) की योजना की कार्य दर लाह पोषक प्रजाति पलाश के वृक्षों की संख्या-12500 प्रति प्रमण्डल (10 वृक्ष प्रति लाभुक परिवार, कुल 1250 लाभुक परिवार)

(रु० लाख मे०)

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	दर	तृतीय वर्ष 2021-22 मजदूरी प्रति मानव दिवस 311.33			
			भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	कुल व्यय
1	वृक्षों का विछांकन	रु० 2.98 प्रति वृक्ष		0.000	0.000	0.000
2	प्रशिक्षण					
	(क) हितग्राही परिवारों के एक-एक सदस्य को समूहों में IINRG के लाह वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण	100 रु० प्रति परिवार प्रति वर्ष			1.000	1.000
3	टूलकीट एवं अन्य सामग्री	रु० 1775/- प्रति टूलकीट; 100 वृक्षों पर एक कीट				0.000
4	वृक्षों की कटाई-छाँटाई	1 मानव दिवस प्रति 5 वृक्ष				0.000
5	बीहन लाह का क्रय	700 ग्राम से 1.00 किंग्रा० प्रति वृक्ष; रु० 200.00 प्रति किंग्रा०	गत वर्ष उत्पादित बीहन से 6250 वृक्ष			0.000
6	संचारण व्यय	1 मानव दिवस प्रति 20 वृक्ष	6250 वृक्ष	0.972		0.972
7	फसल संरक्षण पर व्यय	30 रु० प्रति वृक्ष (कीटनाशक इल्यादि)	6250 वृक्ष		1.875	1.875
8	कीटनाश छिड़काव हेतु रॉकिंग स्प्रे मशीन	1 मशीन प्रति 10 लाभुक परिवार @ 6000रु०				0.000
9	फुन्की का स्केपिंग एवं संग्रहण	4 मानव दिवस प्रति 100 वृक्ष	6250 वृक्ष	0.778		0.778
10	तकनीकी सहायता (विशेषज्ञों एवं लाह पर्यवेक्षकों का यात्रा व्यय सहित)			0.000	0.250	0.250

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	दर	तृतीय वर्ष 2021-22 मजदूरी प्रति मानव दिवस 311.33			
			भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	कुल व्यय
11	लाह पर्यवेक्षकों को मानदेय	1 पर्यवेक्षक @ Rs. 5000/ पर्यवेक्षक प्रति माह	1 पर्यवेक्षक (12 माह)	0.600	0.000	0.600
12	CRP (Community Resource Person) को मानदेय	12 CRP @ 2000₹ प्रति माह	12 CRP (12 माह)	2.880		2.880
13	अन्य आकस्मिक व्यय (बोर्ड / प्लास्टिक रस्सी, रंग, पेंट, स्टेशनरी इत्यादि)				0.500	0.500
	कुल योग—			5.230	3.625	8.855
14	Concurrent Monitoring and Evaluation (Including MIS, documentation, data Collection, reports, case studies etc.)	.@ 2 % of Project cost			0.177	0.177
	सकल योग—			5.230	3.802	9.032

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

अनुलग्नक-2(ग)

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम— सीसल वृक्षारोपण हेतु कार्य दर प्रति हे०

पौधों की संख्या प्रति हे०— 6150

क्र० सं०	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस प्रति हे०	मजदूरी रु० में	सामग्री रु० में	कुल व्यय रु० में	आमुक्ति
(A)	वित्तीय वर्ष 2021-22 में सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 311.33						
1.	दो कोडनी एवं निकौनी	हे०	145	45142.85	0.00	45142.85	
2.	उर्वरक एवं रसायन	हे०	0	0.00	4133.00	4133.00	
3.	सुरक्षा कार्य	हे०	12	3735.96	0.00	3735.96	
4.	घेरान मरम्मति	हे०	5	1556.65	0.00	1556.65	
5.	मृत पौधों का बदलाव	हे०	15	4669.95	0.00	4669.95	
	योग :-		177	55105.41	4133.00	59238.41	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

^



आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वयं हेतु निम्नांकित दर्शाएं गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती हैं

पत्र संख्या - 01/YB-32/2019/506

दिनांक -

01-Jul-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060110209010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01-लघु वन का पदार्थ उन्नयन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते	29985	GMLFOR001 SRIKANT IFS D.F.O. GUMLA 03 - मजदूरी	628,200.00 रुपये छ: लाख अठाइस हजार दो सौ
2	S 19 24060110209010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01-लघु वन का पदार्थ उन्नयन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते	29986	CTRFOR002 R.THANGA PANDIAN D.F.O. NORTH DIV. CHATRA 03 - मजदूरी	523,000.00 रुपये पाँच लाख तेइस हजार
3	S 19 24060110209010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01-लघु वन का पदार्थ उन्नयन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते	29987	HZBFWL009 SOURAV CHANDRA DIV. FOREST OFFICE EAST 03 - मजदूरी	523,000.00 रुपये पाँच लाख तेइस हजार
	State Scheme : Central Scheme :	NA NA		
	State Scheme : Central Scheme :	NA NA		
	State Scheme : Central Scheme :	NA NA		
योगः क्रमिक योगः	रुपये सोलह लाख चौहत्तर हजार दो सौ		(NAND KISHORE SINGH) ADDL PCCE DEV JHARKHAND	1,674,200.00

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060110209010103 2406 - वानिकी तथा बन्य शाणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01-लघु वन का पदार्थ उन्नयन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते	29988	BKRFOR001 ARUN KUMAR SINGH D F O, BOKARO 03 - मजदूरी	523,000.00 रुपये पॉच लाख तेइस हजार चार सौ
5	S 19 24060110209010103 2406 - वानिकी तथा बन्य शाणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01-लघु वन का पदार्थ उन्नयन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते	29989	DRNFWL032 SMITHA PANKAJ CF & STATE SILVICULTURIST JH 03 - मजदूरी	3,857,400.00 रुपये अड्डीस लाख सत्तावन हजार चार सौ
6	S 19 24060110209010323 2406 - वानिकी तथा बन्य शाणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01-लघु वन का पदार्थ उन्नयन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	29991	GMLFOR001 SRIKANT IFS D.F.O. GUMLA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	420,600.00 रुपये चार लाख बीस हजार छ: सौ
योगः क्रमिक योगः		रुपये चौसठ लाख पचहत्तर हजार दो सौ		4,801,000.00
			(NAND KISHORE SINGH) ADDI: PCCF, JEV, JHARKHAND	6,475,200.00

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060110209010323 2406 - वानिकी तथा बन्य शारी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01-लघु वन का पदार्थ उन्नयन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	29992	CTRFOR002 R.THANGA PANDIAN D.F.O, NORTH DIV. CHATRA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	380,200.00 रुपये तीन लाख अस्सी हजार दो सौ
	State Scheme : Central Scheme :	NA NA		
8	S 19 24060110209010323 2406 - वानिकी तथा बन्य शारी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01-लघु वन का पदार्थ उन्नयन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	29993	HZBFWL009 SOURAV CHANDRA DIV. FOREST OFFICE EAST 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	380,200.00 रुपये तीन लाख अस्सी हजार दो सौ
	State Scheme : Central Scheme :	NA NA		
9	S 19 24060110209010323 2406 - वानिकी तथा बन्य शारी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01-लघु वन का पदार्थ उन्नयन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	29995	BKRFOR001 ARUN KUMAR SINGH D F O, BOKARO 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	380,200.00 रुपये तीन लाख अस्सी हजार दो सौ
	State Scheme : Central Scheme :	NA NA		
योगः	रुपये छहत्तर लाख पंद्रह हजार आठ सौ		(NAND KISHORE SINGH) ADDI - PCCE DEV JHARKHAND	1,140,600.00
क्रमिक योगः				7,615,800.00

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060110209010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लक्षु वन पदार्थों का उन्नयन 01-लक्षु वन का पदार्थ उन्नयन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय	29998	DRNFWL032 SMITHA PANKAJ CF & STATE SILVICULTURIST JH 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	289,400.00 रुपये दो लाख नवासी हजार चार सौ
	State Scheme :	NA		
	Central Scheme :	NA		
योग:	रुपये उन्नासी लाख पौंच हजार दो सौ			289,400.00
क्रमिक योग:				7,905,200.00
Page 4 of 4		N RANCH	Run Date:	1/7/2021